5.पदसृजन/ पदावधि विस्तार / स्थायीकरण

[1]

पत्र संख्या 16(क) सं०प०(वि०)-010-01/97 का० 48-ओ०एम०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री देवाशीष गुप्ता, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक-23.6.1998

विषय :- **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सृजित अस्थायी पदों के अवधि-विस्तार एवं स्थायीकरण की कार्रवाई ससमय करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के परिपत्र सं० 119 ओ०एम० दिनांक 17.10.92 एवं सं० 17 ओ०एम० दिनांक 18.3.92 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि ऐसे कई मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ विभाग अस्थायी रूप से सृजित पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित) के अवधि-विस्तार एवं स्थायीकरण की कार्रवाई ससमय नहीं करते हैं, जिससे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वेतनादि का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सभी विभाग/विभागाध्यक्षों को भेजे गये जांच-पत्र में वांछित सूचनाएं प्रस्ताव से संबंधित प्रशासी विभाग की संचिकाओं में उपलब्ध नहीं रहने के कारण परामर्शी कार्मिक विभाग द्वारा पृच्छाएं की जाती हैं, जिससे मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

2. उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र सं० 2535/वि. (2) दिनांक - 5.5.97, सं० 4597/वि०(2) दिनांक 9.8.97 एवं सं० 381/वि०(2) दिनांक- 23.12.97 द्रष्टव्य हैं, जिसमें अवधि-विस्तार एवं स्थायीकरण के संबंध में विस्तृत निदेश दिये गये हैं, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत अवधि-विस्तार एवं स्थायीकरण का प्रस्ताव परामर्शी कार्मिक विभाग की प्रशासनिक सहमति के लिए पृष्ठांकित कर रहे हैं।

3. अत: अनुरोध है कि अवधि-विस्तार एवं स्थायीकरण का प्रस्ताव विहित प्रक्रिया के अनुसार अगले माह के मध्य तक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) को आवश्यक रूप से भेजा जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न होनेवाली स्थिति के लिए स्वयं प्रशासी विभाग जिम्मेवार होगा।

4. कृपया उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/- देवाशीष गुप्ता

सरकार के सचिव।

[2]

पत्र सं०-9/नि०6-110/91 का०-163

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री मो० हारुन रशीद, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना / राँची ।

पटना-15, दिनांक 21 मार्च, 1997

विषय :- मंत्रिपरिषद के सभी स्तर के मंत्रियों तथा विभागीय आयुक्तों एवं सचिवों के लिए वेतनमान 3000-4500/- रु० में सचिव के पदों का सृजन एवं उन पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निजी सहायक संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापन ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-666 दिनांक 1.12.95 के आलोक में स्वीकृत्यादेश सं०-714 दिनांक 23.1.87 में संलग्न सूची में आंशिक संशोधन करते हुए संलग्न सूची के अनुसार पद स्वीकृत किये जाते हैं।

विश्वासभाजन,

ह०/- मो० हारुन रशीद

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 163 पटना-15, दिनांक- 21.3.97

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/सरकार के सभी आयुक्त-सह-सचिव/सरकार के सभी सचिव/मंत्रिपरिषद् के सभी स्तर के मंत्रियों के आप्त सचिवों/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- मो० हारुन रशीद

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 163 पटना-15, दिनांक- 21.3.97

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, लेखा शाखा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- मो० हारुन रशीद

सरकार के उप सचिव।

पदों की सूची

क्रमांक	पदों का नाम	संख्या
1.	सभी मंत्री/राज्य मंत्री	एक एक पद
2.	मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव	1
3.	योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त	1
4.	सदस्य, राजस्व पर्षद	1
5.	प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय	1
6.	अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग	1
7.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, राँची	1
8.	आरक्षण आयुक्त	1
9.	विभागीय जाँच आयुक्त	1
10.	अध्यक्ष, बिहार योजना पर्षद	1
11.	महानिरीक्षक-सह-आरक्षी महानिदेशक	1
12.	आयुक्त, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग	1
13.	सभी विभागीय आयुक्त/सचिव	एक-एक पद

ह०/- मो० हारुन रशीद
सरकार के उप सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना।

---

[3]

पत्रांक 9/सं.स.29-108/94 का० 666

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री हारुन रशीद, सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग (अनौपचारिक रूप से परामर्शित)

पटना, दिनांक 1.12.1995

विषय :- पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति सह फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 1.3.89 एवं 1.4.90 को निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग में स्वीकृत बल पर 20 प्रतिशत कनीय प्रवर कोटि, 12½ प्रतिशत वरीय प्रवर कोटि एवं 2½ प्रतिशत सुपर टाइम सेलेक्शन ग्रेड के पदों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 9/सं.स.1-303/89 का०-394 दिनांक 21.6.1991 के जरिए निजी सहायक संयुक्त संवर्ग में दिनांक

1.3.89 तथा 1.4.90 के प्रभाव से प्रवर कोटि के पदों के संपरिवर्त्तन का आदेश निर्गत किया गया था । उक्त संवर्ग में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 9/नि1-1051/87 का०-714 दिनांक 23.1.87 के जरिए आवश्यकता पर आधारित सचिव के सचिव के 77 पद वेतनमान 3000-4500/- रु० में पूर्व से स्वीकृत हैं। उक्त 77 पदों का सामंजन प्रवर कोटि के अनुमान्य पदों में किया जाय या नहीं, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। इस प्रसंग में सम्यक विचारोपरांत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-9/सं०स०-1-303/89 का०- 394 दिनांक 21.6.91 को विलोपित करते हुये राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित रूप में पदों के संपरिवर्त्तन का निर्णय लिया गया है:-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में दिनांक 1.4.88 को निजी सहायक के संयुक्त संवर्ग में पदों की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

		स्थायी	अस्थायी	कुल
1.	निजी सहायक वेतनमान- 785-1210/-	529	136	665
2.	वरीय निजी सहायक वेतनमान-980-1510/- (कनीय प्रवर कोटि 20 प्रतिशत)	151	39	190
3.	आप्त सचिव वेतनमान-940-1660/- (वरीय प्रवर कोटि 10 प्रतिशत)	76	19	95
	कुल योग -	756	194	950

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021 (वि०), दिनांक 18.12.89 के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार प्रवर कोटि के पुनर्वर्गीकरण को स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके अनुसार निजी सहायक संयुक्त संवर्ग में पदों की स्थिति दिनांक 1.3.89 को निम्न प्रकार होगी :-

		स्थायी	अस्थायी	कुल
1.	निजी सहायक, वेतनमान-1500-2750/-	492	127	619
2.	वरीय निजी सहायक वेतनमान-2000-3500 (कनीय प्रवर कोटि 20 प्रतिशत)	151	39	190
3.	आप्त सचिव वेतनमान-2000-3800/- (वरीय प्रवर कोटि 12½ प्रतिशत)	94	23	117
4.	सुपर टाइम सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान-3000-4500/- 2½ प्रतिशत (ढ़ाई प्रतिशत)	19	5	24
	कुल योग -	756	194	950

सुपर टाइम में ढ़ाई प्रतिशत के आधार पर अनुमान्य 24 पदों को सचिव के सचिव (वेतनमान 3000-4500/-) रु. में सृजित 77 पदों में सामंजित माना जायेगा।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6121 (वि०), दिनांक 18.12.89 के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार प्रवर कोटि के पुनर्वर्गीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके अनुसार निजी सहायक संयुक्त संवर्ग में पदों की स्थिति दिनांक 1.4.90 को निम्न प्रकार होगी :-

		स्थायी	अस्थायी	कुल
1.	निजी सहायक, वेतनमान-1500-2700/-	492	162	654
2.	वरीय निजी सहायक वेतनमान-2000-3500/- रु० (कनीय प्रवर कोटि 20 प्रतिशत)	151	50	201
3.	आप्त सचिव वेतनमान-2000-3800/- (वरीय प्रवर कोटि 12½ प्रतिशत)	94	31	125
4.	सुपर टाईम सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान-3000-4500/- रु० (2½ प्रतिशत)	19	6	25
	कुल योग -	756	249	1005

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 9/नि1-1051/97 का०-714 दिनांक 23 जनवरी, 1987 के अन्तर्गत निजी सहायक संयुक्त संवर्ग को प्रोन्नति की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यकता के आधार पर वेतनमान 3000-4500/- रु० में सचिव के 77 पद स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से दो पद वरीय सचिव के रूप में वेतनमान 3700-5000/- रु० में पूर्व से उत्क्रमित हो चुके हैं। पूर्व से स्वीकृत सचिव के सचिव (वेतनमान 3000-4500/-) में उपलब्ध कुल 77 पदों में से 25 पद (वेतनमान 3000-4500/- रु०) सुपर टाइम सेलेक्शन ग्रेड में सामंजित माने जायेंगे और शेष 52 पद (50 पद सचिव के सचिव वेतनमान 3000-4500/- एवं दो पद वरीय सचिव वेतनमान- 3700-5000/- रु०) पर पूर्ववत प्रोन्नति के लिए आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त सुविधा के रूप में उपलब्ध रहेंगे।

विश्वासभाजन,
ह०/- हारुन रशीद
सरकार के उप सचिव।

[4]

संख्या- सं०प०/अ०-10-109/93-113

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री एस०एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 18 नवम्बर, 1993

विषय :- सरकार के विभिन्न विभागों के अस्थायी सृजित (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) पदों के "अवधि विस्तार" पर प्रशासनिक सहमति के संबंध में ।

महोदय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-119 दिनांक 17.10.92 के अनुसार सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के लिये सभी प्रकार के पदों का सृजन / अवधि विस्तार एवं तीन वर्षों से अधिक से चले आ रहे अस्थायी पदों के स्थायीकरण के मामले पर कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) का प्रशासनिक परामर्श प्राप्त करने के बाद ही वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर राज्यादेश / स्वीकृत्यादेश (व्यय विवरणी के साथ) निर्गत किया जाता है। इस तरह वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 3449 दिनांक 3.4.74 के अनुपालन में महालेखाकार के प्राधिकार के बिना पदाधिकारियों को उनके द्वारा निकासी की गई अंतिम वेतन की दर से गत पदावधि समाप्ति की तिथि से सिर्फ तीन माह के लिये वेतन का भुगतान क़राने का प्रावधान है ।

इस तरह विभागों के अधीनस्थ सभी प्रकार के अस्थायी पदों (राजपत्रित / अराजपत्रित) एवं सभी मद (योजना एवं गैर योजना) के अधीन पद सृजन या पदों का अवधि विस्तार या तीन वर्षों से अधिक के अस्थायी पदों का स्थायीकरण के सभी मामले विभागीय मंत्री का अनुमोदनोपरान्त ही कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) द्वारा पदों के अवधि विस्तार पर निर्धारित मापदण्ड के आलोक में प्रशासनिक परामर्श दिया जाता है ।

(2) किन्तु प्राय: कतिपय विभागों द्वारा नये पदों के सृजन या अवधि विस्तार के मामले पर सीधे वित्त विभाग में भेजते हैं और वित्त विभाग कार्मिक विभाग की प्रशासनिक परामर्श के बगैर ही उस पर अपनी सहमति दे देती है, जो अनियमित है, इसके अतिरिक्त कतिपय विभागों द्वारा कालबाधित वित्तीय वर्षों के अस्थायी पदों का अवधि विस्तार पर घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव आया करता है और पदों के अवधि विस्तार की प्रत्याशा में संबंधित पदधारकों को बगैर राज्यादेश/स्वीकृत्यादेश निर्गत किये अनियमित रूप से घटनोत्तर वित्तीय वर्षों के वेतनादि का भुगतान किया जाता रहा है । इससे कार्मिक विभाग / वित्त विभाग के अधिकार का अतिक्रमण भी होता है। जिस पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना आवश्यक हो गया है। क्योंकि पद सृजन / अवधि विस्तार एवं स्थायीकरण वार्षिक कार्य भार (मापदंड) के आधार पर किया जाता है ।

विभिन्न विभागों के अधीन अस्थायी सृजित राजपत्रित / अराजपत्रित पदों के पदावधि-विस्तार की समाप्ति के बाद तीन माह तक वेतन भुगतान करने का प्रावधान है। इसके बाद राज्यादेश / स्वीकृत्यादेश निर्गत होने

के बाद ही वेतनादि का नियमित भुगतान किया जा सकता है । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि विभागों द्वारा प्रक्रियान्तर्गत प्रत्येक चालू वित्तीय वर्ष में ही अवधि विस्तार पर सहमति प्राप्त कर राज्यादेश (व्यय विवरणी के साथ) निर्गत किया जाय और प्रायः घटनोत्तर सहमति की परंपरा समाप्त की जाय ।

(3) कृपया अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारी को आदेश परिचारित करा दी जाय ।

(4) कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या- 113
पटना-15, दिनांक 18 नवम्बर , 1993 ई०।

प्रतिलिपि - महालेखाकार, पो० हिन्नू राँची / वीरचन्द पटेल पथ पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या-18/ओ०एम०/अ०वि०-1020/92-119/ओ०एम०

प्रेषक,

श्री एस०एन० विश्वास, सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / स्थापना शाखा, कार्मिक विभाग ।

पटना-15, दिनांक 17 अक्तूबर, 1992।

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में पदों का सृजन एवं अवधि विस्तार।

महोदय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) के परिपत्र संख्या 146 दिनांक 21.12.87 परिपत्र संख्या 145 दिनांक- 21.12.87 तथा परिपत्र संख्या-216 दिनांक 14.2.84 का निर्देश करते हुए कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिये सभी प्रकार के पदों का सृजन, अवधि विस्तार एवं तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों के स्थायीकरण में कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) की सहमति आवश्यक है, पर इधर कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिससे पता चलता है कि कुछ विभाग नये पदों के सृजन एवं अस्थायी पदों के अवधि विस्तार के मामले सीधे वित्त विभाग में भेजते हैं और वित्त विभाग, कार्मिक विभाग की सहमति के बगैर ही उस पर अपनी सहमति दे देता है, जो अनुचित है।

अतः अनुरोध है कि विभाग के अधीनस्थ सभी प्रकार के पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित) एवं सभी मद (योजना एवं गैर योजना) के अधीन पद सृजन, अवधि विस्तार एवं तीन वर्षों से अधिक अवधि के अस्थायी पदों का स्थायीकरण के सभी मामले विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) की सहमति के बाद ही वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजी जाय।

2- प्रशासी विभाग द्वारा मूल सूचिका के साथ छाया सूचिका भी अवश्य भेजी जाय तथा सूचिका का पत्रावरण जीर्ण-शीर्ण अवस्था (हालत) में न हो।

3- इसे अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को कड़ाई से कार्यान्वयन करने के लिये परिचारित करायी जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस०एन० विश्वास
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

---

[5]

ज्ञाप सं०- 10/ परी-901 / 92-का०-8

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य वन संरक्षक, राँची ।

पटना-15, दिनांक 2 फरवरी, 1993।

विषय :- तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में।

प्रसंग :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का ज्ञाप संख्या 10/परी०-1401/74-1408-का०, दिनांक 13 जून, 1975 तथा 10/परी०-1001/82-216-का०, दिनांक 14 फरवरी, 1984।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि तीन वर्षों से चले आ रहे अस्थायी राजपत्रित पदों, जिसका भविष्य में अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है, को स्थायी करने की पूर्ण शक्तियां सरकार के प्रशासी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित की गयी थी तथा प्रशासी विभागों को यह भी शक्ति प्रत्यायोजित की गयी थी कि 1,820 रु० तक वेतन वाले अस्थायी राजपत्रित पदों को भी वे स्थायी कर सकेंगे । उक्त सभी पदों को स्थायी करने में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

2. पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिये दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया है जिसके फलस्वरूप यह स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है कि अस्थायी राजपत्रित पदों को स्थायी करने की प्रत्यायोजित शक्ति की सीमा पुनरीक्षित वेतनमान में क्या होगी।

3. उपर्युक्त तथ्यों पर भली-भाँति विचारोपरांत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 10/परी०-1001/82-216-का०, दिनांक 14 फरवरी, 1984 की कंडिका 3 में अंकित "1,820 रुपये तक के वेतन वाले" वाक्यांश के स्थान पर "दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में 4,000 रुपये तक के अधिकतम वेतनमान वाले" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाय।

4. उपर्युक्त ज्ञापों में अंकित अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. सभी प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अस्थायी पदों के सम्बन्ध में समीक्षा कर उपर्युक्त सरकारी आदेशों के अनुसार आवश्यक आदेश अविलम्ब जारी करेंगे। इसकी सूचना निश्चित रूप से यथासमय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी दी जाय।

रामाशीष पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या 10/परी०-901/92-का०-8 पटना-15, दिनांक 2 फरवरी, 1993

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, रांची/पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

रामाशीष पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या 10 / परी०-901/92-का०-8 पटना-15, दिनांक 2 फरवरी, 1993।

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना 800007 को अग्रसारित करते हुये अनुरोध करना है कि इसकी 2,000 (दो हजार) प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा 10) को शीघ्र भेजी जायं।

रामाशीष पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

[6]

संख्या-18/ओ०एम०/अ०वि०-1020/92-119/ओ०एम०

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री एस०एन० विश्वास, सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / स्थापना शाखा, कार्मिक विभाग।

पटना-15, दिनांक 17 अक्तूबर, 1992।

विषय :- **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में पदों का सृजन एवं अवधि विस्तार।**

महोदय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) के परिपत्र संख्या 146 दिनांक 21.12.87, परिपत्र संख्या- 145 दिनाक- 21.12.87 तथा परिपत्र संख्या-216 दिनांक 14.2.84 का निर्देश करते हुए कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिये सभी प्रकार के पदों का सृजन, अवधि विस्तार एवं तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों के स्थायीकरण में कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) की सहमति आवश्यक है, पर इधर कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिससे पता चलता है कि कुछ विभाग नये पदों के सृजन एवं अस्थायी पदों के अवधि विस्तार के मामले सीधे वित्त विभाग में भेजते हैं और वित्त विभाग कार्मिक विभाग की सहमति के बगैर ही उस पर अपनी सहमति दे देता है, जो अनुचित है।

अतः अनुरोध है कि विभाग के अधीनस्थ सभी प्रकार के पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित) एवं सभी पद (योजना एवं गैर योजना) के अधीन पद सृजन, अवधि विस्तार एवं तीन वर्षों से अधिक अवधि के अस्थायी पदों का स्थायीकरण के सभी मामले विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) की सहमति के बाद ही वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजी जाय।

2- प्रशासी विभाग द्वारा मूल संचिका के साथ छाया संचिका भी अवश्य भेजी जाय तथा संचिका का पत्रावरण जीर्ण-शीर्ण अवस्था (हालत) में न हो।

3- इसे अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को कड़ाई से कार्यान्वयन करने के लिये परिचारित करायी जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस०एन० विश्वास
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

---

[7]

पत्र सं०-9/नि०1-103/90 का०-292

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक

श्री शिव प्रसाद सिंह, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना, राँची ।

द्वारा :- वित्त विभाग । (अनौपचारिक रूप से परामर्शित)

पटना-15, दिनांक 8 जून, 1992

विषय :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग में मंत्रिपरिषद के सभी स्तर के मंत्रियों एवं विभागीय आयुक्त तथा सचिवों के लिए वेतनमान- 3000-100-3500-125-4500/- रु० में सचिव के सृजित 27 पदों का स्थायीकरण ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग में राज्यादेश सं०-9/ नि०01-105/87 का०-714 दिनांक 23.1.87 द्वारा मंत्रिपरिषद् के सभी स्तर के मंत्रियों एवं आयुक्तों तथा सचिवों के लिए वेतनमान- 1350-2000 रु० में सचिव के 77 पदों का सृजन किया गया था तथा राज्यादेश सं०-9/ नि०1-103/88 खंड 436 दिनांक 13.6.90 एवं राज्यादेश सं०-131 दिनांक 25.2.91 एवं राज्यादेश सं०-585 दिनांक 19.9.91 द्वारा केवल 27 पदों का अवधि विस्तार दिनांक 1.3.91 से 28.2.92 तक किया गया था।

सचिव के उक्त सृजित एवं अवधि विस्तारित 27 पदों के भविष्य में बने रहने की आवश्यकता है। अत: राज्य सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं० 10/परी०-1401/74-1408 का० दिनांक 13.6.74 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत सचिव के उक्त 77 सृजित पदों में शेष 27 पदों को दिनांक 1.3.92 से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के रक्षित पुल में स्थायीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की है।

यह व्यय बजट शीर्ष "252-सचिवालय सामान्य सेवायें- सचिवालय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते" मद से विकलनीय होगा।

विश्वासभाजन,
ह०/- शिव प्रसाद सिंह
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक - 292 पटना-15, दिनांक- 8.6.92

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना / सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के आप्त सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- शिव प्रसाद सिंह
सरकार के उप सचिव।

---

[8]

पत्र संख्या-9/सं०सं०-1-303/89-का० 394

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री शशि कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग (अनौपचारिक रूप से परामर्शित)।

पटना-15, दिनांक-21 जून, 1991।

विषय :- पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति-सह-फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में दिनांक 1.3.89 एवं 1.4.90 को निजी सहायक के संयुक्त संवर्ग में स्वीकृत पद पर 20 प्रतिशत कनीय प्रवर कोटि, 12½ प्रतिशत वरीय प्रवर कोटि एवं 2½ प्रतिशत सुपरटाइम सेलेक्शन ग्रेड के पदों की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में दिनांक 1.4.88 को निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग में पदों की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

		स्थायी	अस्थायी	कुल
1-	निजी सहायक वेतनमान 785-1210	529	136	665
2-	वरीय निजी सहायक (कनीय प्रवर कोटि 20% वेतनमान 880-1510/-	151	39	190
3-	आप्त सचिव (वरीय प्रवर कोटि 10% वेतनमान 940-1660/-	76	19	95
	कुल योग :-	756	194	950

2- वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021 (वि०) दिनांक 18.12.89 के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार प्रवर कोटि के पुनर्वर्गीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके अनुसार निजी सहायक संयुक्त संवर्ग के पदों की स्थिति 1.3.1989 को निम्न प्रकार होगी :-

		स्थायी	अस्थायी	कुल
1-	निजी सहायक वेतनमान 1500-2750	492	127	619
2-	वरीय निजी सहायक (कनीय प्रवर कोटि) 20% वेतनमान 2000-3500	151	39	190
3-	आप्त सचिव (वरीय प्रवर कोटि) वेतनमान 2000-3800 रु०	94	23	117
4-	सुपर टाईम सेलेक्शन ग्रेड 2½% वेतनमान 2400-4150/-	19	5	24
	कुल योग :-	756	194	950

3- वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021 (वि०) दिनांक 18.12.89 के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार प्रवर कोटि के पुनर्वर्गीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसके अनुसार निजी सहायक संयुक्त संवर्ग में पदों की स्थिति दिनांक 1.4.1990 को निम्न प्रकार होगी :-

		स्थायी	अस्थायी	कुल
1-	निजी सहायक वेतनमान 1500-2750 रु०	492	162	654
2-	वरीय निजी सहायक (कनीय प्रवर कोटि) 20% वेतनमान 2000-3500 रु०	151	50	201
3-	आप्त सचिव (वरीय प्रवर कोटि) 12½% वेतनमान 2000-3800 रु०	94	31	125
4-	सुपर टाईम सेलेक्शन ग्रेड 2½% वेतनमान 2400-4150/- रु०	19	6	25
	कुल योग :-	756	249	1005

विश्वासभाजन
ह०/- शशि कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव ।

---

[9]

पत्र सं०-9/नि०1-103/90 का०-244

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस०एस० मशहदी, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, वीरचन्द पटेल / राँची ।

द्वारा :- वित्त विभाग । (अनौपचारिक रूप से परामर्शित)

पटना-15, दिनांक 19 अप्रील, 1991

विषय :- **कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग में मंत्रिपरिषद के सभी स्तर के मंत्रियों एवं विभागीय आयुक्त तथा सचिवों के लिए वेतनमान 3000-100-3500-125-4500/- रुपए में सचिव के सृजित 48 पदों का स्थायीकरण ।**

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग में राज्यादेश संख्या 9 / नि०1-1057/87 का०-714 दिनांक 23.1.87 द्वारा मंत्रिपरिषद के सभी स्तर के मंत्रियों एवं विभागीय आयुक्तों तथा सचिवों के लिए वेतनमान 3000-4500/- रुपए में सचिव के 77 पदों का सृजन किया गया था तथा राज्यादेश सं०-9 / नि०1-103/88 खण्ड-436 दिनांक-13.6.90 एवं राज्यादेश सं०- 131 दिनांक 25.2.91 द्वारा इनका अवधि विस्तार 28.2.91 तक किया गया था ।

2. सचिव के उक्त सृजित एवं अवधि विस्तारित पदों के भविष्य में भी बने रहने की आवश्यकता है । अत: राज्य सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-10/परी-1401 / 74-1408 का० दिनांक - 13.6.74 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत सचिव के उक्त 77 सृजित पदों में से तत्काल 48 अड़तालिस पदों का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के रक्षित पूल में स्थायीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस०एस० मशहदी
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप सं०- 244 पटना-15, दिनांक- 19.4.91

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना / सभी प्रधान सचिव / सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सरकार के सभी विभागीय सचिव / मंत्रिपरिषद के सभी स्तर के मंत्रियों के आप्तसचिव / सभी विभागाध्यक्ष / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- एस०एस० मशहदी
सरकार के उप सचिव।

---

[10]

संख्या-ओ०एम०/सी०-1-01/87-का०-145

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री गंगा प्रसाद, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 21.12.87

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदों के सृजन एवं अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि ऐसे कई मामले प्रकाश में आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि

कुछ विभाग पद सृजन एवं अवधि विस्तार के मामले सीधे वित्त विभाग में भेजते हैं, और वित्त विभाग कार्मिक विभाग की सहमति के बगैर ही उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है, जबकि कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 2022 दिनांक 24.2.58, 4781 दिनांक 4.5.58, 279 दिनांक 8.9.80 एवं पत्रांक 280 दिनांक 8.9.80 के अनुसार होना यह चाहिए कि वित्त विभाग यह जांच ले कि कार्मिक विभाग की सहमति संबंधित विभाग ने प्राप्त कर ली है, या नहीं । वित्त विभाग की सहमति के पूर्व कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) की सहमति आवश्यक है ।

अत: अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारियों को यह निदेश दे दिया जाय कि पद सृजन एवं अवधि विस्तार के मामले में वित्त विभाग अपनी स्वीकृति देने के पूर्व यह देख ले कि उस पर कार्मिक विभाग की स्वीकृति संबंधित विभाग ने प्राप्त कर ली है ।

विश्वासभाजन,
ह०/- गंगा प्रसाद
सरकार के अवर सचिव ।

---

[11]

ज्ञाप सं० 10/ परी०-1001/ 82-216-का०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य वन संरक्षक, राँची ।

पटना-15, दिनांक फरवरी 14, 1984

विषय :- तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में।

प्रसंग :- कार्मिक विभाग का ज्ञाप सं० 10/परी-1401/74-1408-का०, दिनांक 13 जून, 1974 ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि तीन वर्षों से चले आ रहे अस्थायी अराजपत्रित पदों, जिनका भविष्य में अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है, को स्थायी करने की पूर्ण शक्तियां सरकार के प्रशासी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित की गयी थी तथा प्रशासकीय विभागों को यह भी शक्ति प्रत्यायोजित की गयी थी कि 1,250 रुपये तक के वेतन वाले अस्थायी राजपत्रित पदों को भी वे स्थायी कर सकेंगे । उक्त सभी पदों को स्थायी करने में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

2. चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक 1 अप्रील 1981 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया है । फलस्वरूप यह स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है कि अस्थायी पदों को स्थायी करने की प्रत्यायोजित शक्ति की सीमा पुनरीक्षित वेतनमान में क्या होगी ?

3. उपर्युक्त तथ्यों पर भलीभांति विचार कर सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 10/परी०-1401/74-1408-का०, दिनांक 13 जून, 1974 की कंडिका 2 में अंकित "1,250 रु० तक के वेतन वाले" वाक्यांश की जगह "दिनांक 1 अप्रील, 1981 से पुनरीक्षित वेतनमान में 1,820 रु० तक के वेतनवाले" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाय ।

4. उपर्युक्त ज्ञाप में अंकित अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी ।

5. सभी प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अस्थायी पदों के संबंध में समीक्षा कर उपर्युक्त सरकारी आदेशों के अनुसार आवश्यक आदेश अवलिम्ब जारी करेंगे। इसकी सूचना निश्चित रूप से यथासमय कृपया कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी दी जाय ।

सुरेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं० 10/परी०-1001/82-216-का० पटना-15, दिनाक 14 फरवरी 1984।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सुरेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[12]

सं० 1/ एम 1-6084/80-280
बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

प्रेषक,

श्री मो० यूनूस, सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 8 सितम्बर, 1980 ।

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में नये मानक के अनुसार प्रशाखा पदाधिकारी के अतिरिक्त पदों का सृजन ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प सं० 7205 दिनांक 24.5.80 के अनुसार सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारी के अनुमान्य मापदंड में परिवर्त्तन किया गया है ।

2- ऐसा देखा जा रहा है कि कुछेक विभाग द्वारा अपने स्तर से गलत गणना के आधार पर प्रशाखा पदाधिकारी के अतिरिक्त पदों को सृजित करने से संबंधित आदेश निर्गत किया जा रहा है । ऐसे सभी आदेश बिना कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) तथा वित्त विभाग को दिखाए निर्गत न किये जायं । यदि प्रशाखा पदाधिकारी के अतिरिक्त पदों को सृजित करने से संबंधित आदेश बिना वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के संगठन एवं पद्धति शाखा की सहमति प्राप्त किए निर्गत किए गए हैं तो उसे रद्द कर दूसरा आदेश उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्गत करें ।

3- महालेखाकार को इसकी सूचना दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,
ह०/- मो० यूनुस
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं० 1/ एम 1-6084 / 80-280 पटना, दिनांक 8 सितम्बर, 1980 ।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

---

[13]

सं०1/ एम 1-6084/80-279

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

मो० यूनूस, सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 8 सितम्बर, 1980 ।

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में नए मानक के अनुसार प्रशाखा पदाधिकारी के अतिरिक्त पदों का सृजन ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प सं० का०/प्र० सु०-2 2063/78-7205 दिनांक 24.5.80 के अनुसार सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में प्रशाखा पदाधिकारी के अनुमान्य मापदंड में परिवर्त्तन किया गया है। नए मानक के अनुसार 6 सहायकों पर एक प्रशाखा पदाधिकारी के पद अनुमान्य हैं। इसकी गणना का आधार निम्न प्रकार से किया जाएगा।

सचिवालय के विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में सहायक तथा प्रशाखा पदाधिकारी के जितने पद सृजित हैं, उसके कुल बल में 7 का भाग देने पर जो फल आयेगा (शेष को छोड़कर) उतने ही प्रशाखा पदाधिकारी का पद अनुमान्य होगा। पूर्व से जितने प्रशाखा पदाधिकारी के पद सृजित हैं, उसे अनुमान्य प्रशाखा पदाधिकारी की संख्या घटाने के बाद जो शेष बचेगा उतना ही अतिरिक्त प्रशाखा पदाधिकारी का पद सृजित किया जाना है तथा जितना अतिरिक्त प्रशाखा पदाधिकारी का पद सृजित होंगे उतने सहायक के पद स्वत: विलोपित हो जायेंगे।

उदाहरणस्वरूप यदि किसी विभाग में सहायकों की कुल संख्या 72 है तथा पूर्व से सृजित प्रशाखा पदाधिकारी की संख्या 8 है तो कुल अतिरिक्त पद $72 + 8 = 80 \div 7 = 11.4$ अर्थात $11 - 8 = 3$ पद होंगे।

सभी विभाग इस आधार पर गणना कर कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत करें। जिस विभाग द्वारा इस तरह गणना नहीं की गई है वे अपने निर्गत आदेश को रद्द कर दूसरा आदेश संगठन एवं पद्धति शाखा तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निर्गत करें।

महालेखाकार को भी सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,
ह०/- मो० यूनूस
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप सं० 1/ एम 1-6084 / 80-279 पटना, दिनांक 8 सितम्बर, 1980 ।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- मो० यूनूस
सरकार के विशेष सचिव ।

---

[14]

सं० का०/प्र०सु०2-2063/78-7205

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 24 मई, 1980
3 ज्येष्ठ, 1902 (श)

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों का अनुमान्य मापदंड में परिवर्तन ।

सचिवालय अनुदेश के नियम 2.3(ख)(ब) के अनुसार सचिवालय विभागों में हर 8 निम्न और उच्च वर्गीय पदों पर प्रवर कोटि (अब प्रशाखा पदाधिकारी) का एक पद दिया जाता है। निम्न वर्गीय सहायक और उच्च वर्गीय सहायकों के संवर्गों का विलयन कर अब सहायकों का एक संवर्ग कर दिया गया है । व्यवहार में 7 से 9 सहायकों पर एक प्रशाखा पदाधिकारी का पद स्वीकृत किया जाता है ।

2- सचिवालय कर्मचारी संघ की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि सहायकों का कार्यभार का मापदंड बढ़ने से प्रशाखा पदाधिकारियों का कार्यभार भी बहुत बढ़ गया है । इसलिये उनकी मांग है कि प्रत्येक 4 सहायकों पर एक प्रशाखा पदाधिकारी का पद स्वीकृत किया जाय। कार्मिक विभाग और वित्त विभाग द्वारा इस कर्मचारी संघ की मांग पर विस्तृत एवं समुचित समीक्षा के पश्चात राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

(I) प्रशाखा पदाधिकारी के वर्तमान प्रचलित मानक 7 से 9 सहायक पर एक प्रशाखा पदाधिकारी के स्थान पर 6 सहायकों पर ही एक प्रशाखा पदाधिकारी के पद का मानक रखा जाय ।

(II) मितव्ययिता की दृष्टि से प्रशासी विभागों में संशोधित मानक के मुताबिक प्रशाखा पदाधिकारी के जितने अतिरिक्त पद अनुमान्य होंगे, उस अनुपात में सहायक के पदों को विलोपित कर दिया जायगा ।

(III) उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप सहायकों का कोई नया पद सृजित नहीं किया जाय ।

(IV) ये आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू किये जायँ ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को बिहार राजपत्र के एक विशेषांक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय और इसको प्रति महालेखाकार, बिहार एवं सभी संबंधित विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- मो० युनूस
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-का०/प्र०सु०2-2063/78-7205 पटना-15, दिनांक 24 मई, 1980
3 वैशाख, 1902 (श)

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को प्रेषित । अनुरोध है कि उपर्युक्त संकल्प को बिहार राजपत्र के एक विशेषांक में तुरत प्रकाशित किया जाय तथा उसकी 1000 (एक हजार) प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार शाखा) को उपलब्ध कराई जाय ।

ह०/- मो० युनूस
सरकार के विशेष सचिव ।
पटना-15, दिनांक 24 मई, 1980

ज्ञापांक- का/प्र०सु०2-2063/78-7205 3 वैशाख, 1902 (श)

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग तथा संलग्न कार्यालयों के विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) से अनुरोध है कि सचिवालय अनुदेश के सुसंगत नियम को उपर्युक्त संकल्प के अनुसार संशोधित करने की कार्रवाई करें ।

ह०/- मो० युनूस
सरकार के विशेष सचिव ।

[15]

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,

(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

संकल्प

विषय :- सचिवालय विभागों के साथ एकीकृत विभागाध्यक्षों के कार्यालय का पृथक्कीकरण ।

सचिवालय में सचिवालय विभागों के साथ विभागाध्यक्षों के एकीकृत कार्यालयों की व्यवस्था स्थायी रूप से 1958 से लागू थी। इस व्यवस्था की कतिपय त्रुटियाँ राज्य सरकार के समक्ष आयी और कुछ अरसे से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि सचिवालय विभागों के साथ विभागाध्यक्षों के एकीकृत कार्यालयों की व्यवस्था को रहने दिया जाय या समाप्त कर दिया जाय ।

2- इस संबंध में भलीभाँति विचारोपरान्त यह पाया गया कि :-

(क) विभागाध्यक्ष प्रधानत: क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं। उनका प्रमुख कार्य यह है कि वे क्षेत्र में अपने विभाग से संबंधित सरकारी नीति का कार्यान्वयन करायें । एकीकृत व्यवस्था में विभागाध्यक्षों को भी सचिवालय स्तर प्राप्त है। फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यों में उनका पर्यवेक्षण ढीला पड़ जाता है और उनका अधिकांश समय सचिवालय की संचिकाओं के निष्पादन में ही व्यतीत होने लगता है तथा प्रभाव रूप में अपना पृथक अस्तित्व खो देते हैं । मुख्यालय की जिम्मेदारियां इतनी अधिक हो जाती हैं कि उनका मुख्य कर्त्तव्य जो अपने क्षेत्र में निरीक्षण एवं नियंत्रण का होना चाहिए वह गौण हो जाता है । फलस्वरूप सरकारी नीतियों का समुचित कार्यान्वयन नहीं हो पाता है । पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अभाव में क्षेत्र में उनके अधीन पदस्थापित पदाधिकारियों के कार्यों पर तथा उनकी क्षमता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) विभागाध्यक्षों के सचिवालय कार्य में व्यस्त रहने के कारण उनके अधीन क्षेत्र में विभाग द्वारा सम्पादित हो रहे कार्य से उनका सम्पर्क कम हो जाता है जिसके चलते कार्य सम्पादन में उत्पन्न कठिनाइयों का वे सही निरूपण से वंचित रह जाते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव सरकारी नीति निर्धारण पर पड़ता है। अनुभव की कमी के कारण नीति निर्धारण के समय विभागाध्यक्ष क्षेत्र में कार्य सम्पादन के समय महसूस किये गये प्रशासनिक कठिनाइयों का उल्लेख नहीं कर पाते हैं, किन्तु पीछे चलकर जटिल कठिनाइयों का सामना उन्हें क्षेत्र में करना पड़ता है तो वे उसका उल्लेख करने में हिचकिचाते हैं, फलस्वरूप नीति निर्धारण में पूर्व में जो त्रुटियां रह जाती हैं, वे बनी रहती हैं ।

(ग) विभागाध्यक्ष के प्रधानत: सचिवालय पदाधिकारी नहीं रहने के कारण किसी नीति के निर्धारण में सचिवालय के अन्य विभागों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर वे समुचित ध्यान नहीं देते हैं। सचिवालय स्तर प्राप्त विभागाध्यक्ष जब एक वरीय सचिवालय स्तर के पदाधिकारी का कार्य करने लगते हैं ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा भी अपना पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं निभाया जाता है । यही कारण है कि कई विभागों में कितने ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिनके कारण सरकार को सचिवालय के अन्य विभागों में उलझन का मुकाबला करना

पड़ता है । विभाग के सचिव का प्रधान कर्त्तव्य है कि निर्णय लेते समय वे देखें कि सचिवालय स्तर पर एक समरूप नीति का पालन हो रहा है या नहीं। सचिवालय अनुदेश एवं कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व भी सचिव पर ही है। सचिव द्वारा उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं हो पाता है।

(घ) विधानसभा या अन्य स्थानों (Forum) में जहां किसी नीति की व्याख्या करने का या औचित्य बताने का कर्त्तव्य सचिवालय स्तर के पदाधिकारी का होना चाहिए वह नहीं हो पाता है बल्कि उसमें अधिकांश समय विभागाध्यक्ष का ही व्यतीत होता है। विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर देने में या विधानसभा की अन्य समितियों में विभाग का प्रतिनिधित्व सचिवालय पदाधिकारियों द्वारा होना चाहिए और विभागाध्यक्षों का उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों का कर्त्तव्य करने में विभागीय कार्यों के निष्पादन में बिताना चाहिए। यह नहीं हो पाता है। परिणाम होता है कि क्षेत्रीय कार्य पर नियंत्रण की कमी हो जाती है और क्षेत्रीय कार्य की उपेक्षा हो जाती है ।

2- उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने एवं विभागाध्यक्षों द्वारा क्षेत्रीय कार्यों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विभागाध्यक्षों के कार्यालयों को सचिवालय से अलग कर दिया जाय। इस योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित दो चरणों में किया जाय :-

(क) प्रथम चरण में सभी विभागाध्यक्षों तथा उनके नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों को जो सचिवालय स्तर दिया गया है उसे वापस लिया जाय तथा उन्हें केवल क्षेत्र में ही कार्य करने के लिये कहा जाय। विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ही कुछ पदाधिकारियों को सचिवालय का कार्य करने के लिये अंकित (इयर मार्क) कर दिया जाय ।

(ख) दूसरे चरण में जो संयुक्त संवर्ग हैं उनके अनुसचिवीय कर्मचारियों से विकल्प (औपसन) मांगा जाय। जो विभागाध्यक्ष के कार्यालय में रहना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ दिया जाय और जो सचिवालय संवर्ग में रहना चाहते हैं उन्हें सचिवालय संवर्ग में रहने दिया जाय । यदि विभागाध्यक्ष एवं सचिवालय के कार्यालयों को पृथक करने पर कुछ अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस हो तो प्रत्येक विभाग में योजना तैयार कर वित्त विभाग की सहमति से पद सृजन कर सकते हैं ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार राजपत्र में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, पटना/राँची/ निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/विधानसभा/परिषद सचिवालय/बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- ईश्वरी प्रसाद
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक ओ०एम०/आर2-04/78 - 260 पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1979 ।

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 2- उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा करें तथा इसकी दो हजार अतिरिक्त प्रतियां इस विभाग को भेजें ।

ह०/- ईश्वरी प्रसाद
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक ओ०एम०/आर० 2-04/78 - 260 पटना, दिनांक 9 अगस्त, 1979 ।

प्रतिलिपि महालेखाकार, पटना / राँची/ निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधानसभा/विधान परिषद्/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- ईश्वरी प्रसाद
सरकार के प्रधान सचिव ।

❑ ❑ ❑